FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **कुन्दनसिह बनाम भंवरसिह वगैरा** **प्रकरण सख्या 63/2017**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
:|२०२१	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 63/2017 कुन्दनसिह बनाम भंवरसिह वगैरा अन्तर्गत धारा 136 भू.राज.अधिनियम 1956 वास्ते रेकार्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्रान अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया एवं सरहद मौजा ग्राम भगतासनी पटवार हल्का खेजडली कला भू.अ.नि. क्षेत्र गुडा विश्नोईयो तहसील लूणी के खसरा नम्बर 157 रकबा 18 बीधा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 164 रकबा 17 बीधा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 179 रकबा 14 बीधा 13 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 50 बीधा 05 बिस्वा कुषि भूमि आ हुई है जिसमे प्रार्थी के पिता स्व अमरसिह के फौत होने के बाद जारिये विरासत का फौतदागी/म्यूटेशन मे प्रार्थी का नाम घर मे बोलचाल भाषा मे पप्पूसिह का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम कुन्दनसिह पिता अमरसिह है इनको दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सही दस्तावेज प्रस्तुत किये यथा आधार कार्ड मूल निवास मतदाता पहचान पत्र पेन कार्ड राशन कार्ड बैक डायरी की फोटु काफी दस्तावेज प्रस्तुत किये जो सही दस्तावेज कुन्दनसिह पिता अमरसिह के नाम से दर्ज है एवं पप्पूसिह पिता अमरसिह का नाम का कोई व्याक्ति उक्त खसरान् के खातेदार नही है इसलिए उक्त खसरान् की कृषि भूमि मे प्रविष्ट खातेदार का नाम पप्पूसिह के स्थान पर सशोधित व दुरस्त करते हुए कुन्दनसिह किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर सलग्न तहसीलदार लूणी के रिपोर्ट कमांक/भू.अ/2020/6133 दिनाक 04.11.2020 की जॉच रिपोर्ट मे भी ग्राम भगतासनी के खसरा नम्बर 157,164,179 नामान्तरकरण सख्या 106 के तहत प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पप्पूसिह पिता अमरसिह कोम राजपुत दर्ज हैं इस प्रकार के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम पप्पूसिह दर्ज होना लिपीकीय त्रुटि जिसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। उक्त खसरो के खातेदारो भी बाबजूद सुचना के उपस्थित नही आये तथा न हि जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इससे भी सदेह की स्थिति उत्पन्न होती है प्रार्थी भी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एव तहसीलदार लुणी की जाचॅ रिपोर्ट अनुसार भी पप्पूसिह व कुन्दनसिह एक हि व्यक्ति के नाम होना प्रथम दृष्टया प्रतीत नही होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 पोषनीय नही होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी